[श्री हरीशंकर महाले]

अभी हमारे श्री धनिक लाल मंडल जी ने दौरा किया था और उन्होंने यह पाया कि जन सामान्य को आयोजन में कोई स्थान नहीं। ऊपर से योजना थोप दी जाती हैं। वनों के मामले में हम एक कदम और आगे बढ़ गये। विश्व बैंक के विशेषज्ञ आ गये और उनको आंखों के सामने हमारी समस्या कुछ नहीं। वास्तव में वे विदेशों की आवश्यकता के अनुरुप हमारे वनों को बनाना चाहते हैं। हमारी आवश्यकता के अनुसार नहीं।

उद्योग मंत्री जो विकेन्द्रीकरण के लिए कृत-संकल्प हैं, पर आदिवासी क्षेत्रों के वनों की योजना अमरीका से, विश्व बैंक से बनती है। हमें कुछ पता भी नहीं। इसमें अमरीकी साजिश भी हैं, फोर्ड फाउन्डेशन हमारे वनों में अपने आदमी घुसाना चाहता हैं। इन नये वन-विकास मंडलों में खुद फारेस्ट अफसरों को ऊंचे पद मिलते हैं, कुछ सरकारी अफसरों को अमरीका जाने को मिलता है।

क्या मैं इस सदन से दरख्वास्त करूं कि एक नीति बनाई जाये कि आदिवासी क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं और विदेशी संस्थाओं से कोई सरोकार न रखा जाए। वहां की नीति हम अपने हितों को देखते हुए बनाएं।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अन्तर्गत जो मामले उठाये जाते हैं, उन पर बहुत ही संक्षेप में बोला जाता है, आप जल्दी खत्म कीजिये।

श्री हरी शंकर महाले : थोड़ा समय दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई भाषण होता तो आप समय ले सकते थे।

मैं आग्रह करना चाहता हू इस सदन से कि अंतर्राष्ट्रीय या विदेशी संस्थाओं का आदिवासियों से कोई सरोकार न रहे। नये वन-विकास मंडलों का काम तुरन्त रोका जाय और उसका पुनरीक्षण किया जाय। वनों का विकास आदिवासियों के हित में हो न कि आदिवासी वनों के विकास में आहुति दे दिए जायें। वनों में आदिवासियों को पूरे अधिकार दिए जायें। वनों के प्रशासन में आदिवासियों को समानता का दर्जा दिया जाय। साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि वनों के बिना वर्षा नहीं हो सकती हैं, वनों के अभाव में बाढ़ को नहीं रोका जा सकता हैं और वनों के अभाव में प्रति रक्षा का काम नहीं हो सकता, उद्योगों का विस्तार नहीं हो सकता है, इंडस्ट्रीज नहीं खड़ी हो सकती है। इसलिए जंगल तो मंगल है। आदिम जाति के लोग जंगल में रहते है। दोनों की रक्षा करना देश के हित में है।

सभापति महोदय ने मुझे ज्यादा से ज्यादा समय दिया, उसके लिए मैं आभारी हू। धन्यवाद

(iii) Reported move to shift Tractor Factory from Pratapgarh

श्री रूप नाथ यादव (प्रताप गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन एक लोक महत्व के विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हू और आप के माध्यम से उद्योग मंत्री का और श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हू। प्रतापगढ़ जिला उत्तर प्रदेश का अति पिछड़ा जिला है। वहां एक ट्रैक्टर फैक्ट्री लगाने की योजना आयोग से स्वीकृत हुई। उस का काम भी 1977 में शुरु हुआ और सरकार का पचासों लाख रुपया खर्च हो गया। उस के बाद अब उस फैक्ट्री को वहां से हटाने या उस को बन्द करने का प्रश्न विचाराधीन है। इस से वहां की जनता में बड़ा असंतोष है। वह जिला बेरोजगारी और गरीबी से पीड़ित है। वहां अगर एक ट्रैक्टर का कारखाना खोल दिया जाता हैं तो ढाई हजार शिक्षित लोगों को वहां काम मिलेगा और बेरोजगारी की समस्या हल होगी। जनता पार्टी की सरकार ने वादा किया है कि दस साल में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या को दूर करेगी।

लेकिन यहां तो जो एक काम हो रहा था जिस से लोगों को रोजगार मिलने वाला था उस को बन्द करना चाहते है । इस योजना के लिए योजना आयोग ने साढे तीन करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की थी । अब उत्तर प्रदेश शासन ने वित्तीय सहायता की मांग की है । आप के माध्यम से सरकार और प्रधान मंत्री जी शायद यहां नहीं है, उन से निवेदन करना चाहता हूं कि जो वित्तीय सहायता पहले मंजूर की गई थी वह उत्तर प्रदेश सरकार को दे दी जाये कि जिस से वह ट्रैक्टर का कारखाना वहां खोला जा सके । उस कारखाने को वहां से दूसरी जगह हटाएंगे या बन्द करेंगे तो उस से वहां बड़ा असंतोष होगा । अभी वहां इसी बात को लेकर प्रतापगढ़ बन्द का आवाहन किया गया था और अब सत्याग्रह आन्दोलन की भी धमकी दी जा रही है । इसलिए इस कारखाने को वहां से हटाने का निर्णय लेंगे तो उससे भारी असंतोष फैलगा । पन्द्रह बीस जिले जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं वे इस कारखाने से लाभान्वित होंगे । किसानों की समस्या इस से हल होगी क्यों कि यह छोटे छोटे, पन्द्रह बीस हास पावर के ट्रैक्टर बनाने का कारखाना होगा जिस के लिए कि किसनों की बड़ी मांग है । इसलिए मैं निवेदन करूगा कि इस कारखाने को ड्राप न किया जाय और न इसे प्रतापगढ़ से हटा कर कहीं और ले जाया जाय । बल्कि तत्काल तीन महीने के अन्दर इस के कार्य को पूरा करने का आदेश दिया जाये ।

(iv) Reported shifting of Head Office of Hindustan Fertiliser Corporation from Calcutta

SHRI DINEN BHATTACHARYA (Serampore): Under Rule 377 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, Lok Sabha, I want to raise the following urgent public issue and request the Minister concerned to make a statement on that.

As per recommendation of the Working Group set up by the Government of India, the Fertilizer Corporation of India is being divided into five separate companies. One such company is meant for the Eastern Region. This is named as Hindustan Fertilizer Corporation Limited. Its Head Office was to be located in Calcutta. As per the newspaper reports, under political pressure this office is being shifted outside Calcutta. This Company consists of Namruk, Barauni, Durgapore and Haldia fertilizer plants. This shifting will create marketing, administartive and other communication problems. So, through you, I appeal to the Government of India to reconsider their decision and to see that the headquarters of this company remains in Calcutta and not outside Calcutta.

(v) Proposed strike by LIC Development Officers

SHRI SAUGATA ROY (Barrairkpore): Sir, under Rule 377 of the Rules of Procedure I raise a matter on the strike by the Development Officers of the Life Insurance Corporation since yesterday.

14 hrs.

Sir, since yestreday, 7,656 officers of the LIC of India led by the National Federation of Indian Insurance field workers have gone on a month's strike and they have also started squatting outside the houses of the Finance Minister, Industries Minister, Commerce Minister, Foreign Minister and the President of the Janata Party. This strike is a very serious matter because it will cost the LIC in terms of revenue an amount of Rs. 20 crores and in the nature of business, a total of Rs. 300 crores. It is a sad commentary. Since February, the insurance field workers had been writing to the Ministry so that some of their grievances are redressed, But, none of their grievances is redressed till to-day. Their protest is mainly against the scrapping of all bilateral agreements with the National Federation of Field Workers